इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफ़ोलियो में निवेश जोखिम को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा.

''यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद, कॉन्ट्रैक्ट के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते हैं. पॉलिसीधारक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस उत्पादों में निवेश किए गए पैसे को पाँचवें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरेंडर या वापस नहीं ले पाएंगे.''

एसबीआई लाइफ - स्मार्ट वेल्थ बिल्डर क्यों?

अपने व्यक्तिगत और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपने हमेशा जीवन में प्रगति करते जाने का लक्ष्य रखा है. जब आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हों तो वहीं **एसबीआई लाइफ-स्मार्ट वेल्थ बिल्डर** आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखेगा और साथ ही मार्केट लिंक्ड प्रतिफलों के माध्यम से आपकी संपत्ति निर्माण के अवसर को बढ़ाता है.

- **सुरक्षा :** किसी आपात स्थिति के मामले में परिवार की आर्थिक ज़रूरतों का ख्याल रखा जा सकेगा.
- **दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण :** एक वार्षिक नियमित प्रीमियम के 125% तक गारंटीशुदा अभिवृद्धियों# और मार्केट-लिंक्ड रिटर्न के लाभ साथ में पाते हुए लक्ष्य आधारित बचत की जा सकती है.
- 11वें वर्ष से कोई प्रीमियम आवंटन प्रभार नहीं.
- **लचीलापन :** उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्ध हैं :
    - o प्रीमियम अदा करने का विकल्प नियमित या सीमित अवधि के लिए या एक बार एकमश्त भुगतान के ज़रिए.
    - o 11 फंड विकल्पों में से चुनने की सुविधा और इन फंडों के बीच 'स्विच' करने का विकल्प.
    - o 'निपटान विकल्प' के ज़रिए एकमुश्त या आवधिक किस्तों में मृत्यु लाभ लेना. निपटान अवधि के दौरान निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है.
- **नकदीकरण :** 6ठें पॉलिसी वर्ष से या बीमित व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष की आयु होने पर, जो भी बाद में हो, आंशिक निकासियाँ.
- **कर की बचत** :** आयकर कानून 1961 के अंतर्गत विद्यमान मानकों के अनुसार.

#वार्षिक प्रीमियम/एकल प्रीमियम के पूर्व-निर्धारित प्रतिशत पर गारंटीशुदा अभिवृद्धियाँ 10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष में दी जाएंगी, जो प्रस्तावित अभिवृद्धि के दिनांक पर पॉलिसी कार्यरत रहने के अधीन है. पॉलिसी अवधि जितनी अधिक होगी, गारंटीशुदा अभिवृद्धि उतनी ही अधिक होगी. नियमित प्रीमियम प्लान के अंतर्गत 30 वर्ष की पॉलिसी अवधि का चयन करने पर अधिकतम 125% गारंटीशुदा अभिवृद्धियाँ उपलब्ध.

**कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.

उदाहरण

श्री संजय ने एसबीआई लाइफ - स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी ली है. जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :		
आयु – 35 वर्ष	प्लान प्रकार – नियमित बारंबारता – वार्षिक	पॉलिसी अवधि – 30 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) – 30 वर्ष
वार्षिकीकृत प्रीमियम – ₹50,000 प्रति वर्ष	मूल आश्वासित राशि – ₹5,00,000	फंड – 100% इक्विटी फंड

1. **परिपक्वता लाभ (एकमुश्त) :** परिपक्वता दिनांक पर, माने गए निवेश रिटर्न के आधार पर संजय का परिपक्वता लाभ नीचे दिए अनुसार है :

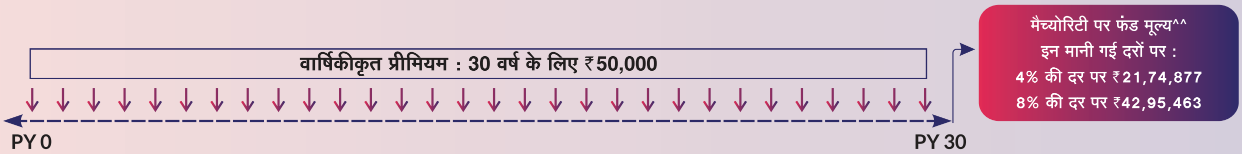

2. **मृत्यु लाभ (एकमुश्त) :** 20वें पॉलिसी वर्ष के अंत में संजय की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, माने गए निवेश रिटर्न के आधार पर मृत्यु लाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है :

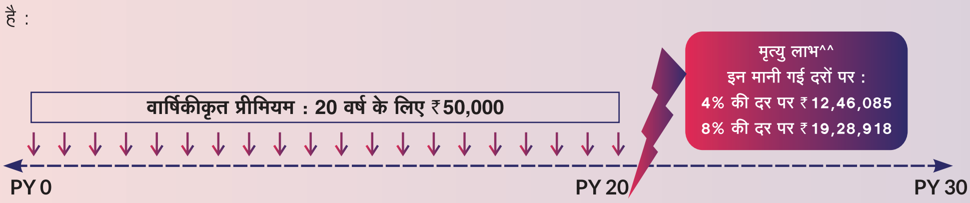

^^आँकड़े उदाहरण के उद्देश्यों से हैं और वे स्वस्थ जीवन के लिए हैं. कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित 4% और 8% प्रति वर्ष की मानी गई रिटर्न की दरें क्रमश: लागू प्रभारों पर विचार करने के बाद इन दरों पर केवल उदाहरणात्मक परिदृश्य हैं. ये गारंटीशुदा नहीं हैं और वे रिटर्न की उच्चतर या निम्नतर सीमाएँ नहीं हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बाज़ार के जोखिम के अधीन हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स संबंधित फंड्स के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इस प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पॉलिसी विशिष्ट लाभ उदाहरण के लिए निवेदन करें.

प्लान के विवरण

<table>
<tr><td>प्रवेश पर आयु*</td><td colspan="2">न्यूनतम : 2 वर्ष[$$]</td><td>अधिकतम : 55 वर्ष</td></tr>
<tr><td>परिपक्वता पर आयु*</td><td colspan="2">न्यूनतम : 18 वर्ष</td><td>अधिकतम : 70 वर्ष</td></tr>
<tr><td>प्लान का प्रकार</td><td colspan="3">नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम/एकल प्रीमियम</td></tr>
<tr><td rowspan="6">प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) और संबंधित पॉलिसी अवधि (पीटी)</td><td>प्लान का प्रकार</td><td>पॉलिसी अवधि (वर्ष)</td><td>प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)</td></tr>
<tr><td>नियमित प्रीमियम</td><td>12 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)</td><td>पॉलिसी अवधि के समान</td></tr>
<tr><td rowspan="3">सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि (एलपीपीटी)</td><td>12 से 14 वर्ष (दोनों शामिल)</td><td>7</td></tr>
<tr><td>15 से 19 वर्ष (दोनों शामिल)</td><td>7/10/12</td></tr>
<tr><td>20 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)</td><td>7/10/12/15</td></tr>
<tr><td>एकल प्रीमियम</td><td>5 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)</td><td>पॉलिसी आरंभ होने पर एक बार भुगतान</td></tr>
<tr><td rowspan="4">प्रीमियम राशि (₹100 के गुणकों में)</td><td>प्लान का प्रकार</td><td>न्यूनतम (₹)</td><td>अधिकतम (₹)</td></tr>
<tr><td>नियमित प्रीमियम (वार्षिक)</td><td>₹30,000</td><td rowspan="3">₹2,50,000; बोर्ड द्वारा मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन होगी</td></tr>
<tr><td>सीमित प्रीमियम भुगतान (वार्षिक)</td><td>₹40,000</td></tr>
<tr><td>एकल प्रीमियम</td><td>₹65,000</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम की बारंबारता</td><td colspan="3">एकल/वार्षिक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">मूल आश्वासित राशि</td><td colspan="3">प्लान का प्रकार</td></tr>
<tr><td colspan="2">नियमित प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि</td><td>10 x वार्षिकीकृत प्रीमियम[1]</td></tr>
<tr><td colspan="2">एकल प्रीमियम</td><td>1.25 x एकल प्रीमियम</td></tr>
</table>

*आयु के सभी संदर्भ पिछले जन्मदिन पर आयु से हैं.

[$$]अल्पवयस्क जीवनों के मामले में पॉलिसी अवधि उचित रूप से चुनी जानी चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि मैच्योरिटी के समय बीमित व्यक्ति वयस्क हो जाए. अल्पवयस्क जीवनों के मामले में पॉलिसी के आरंभ की दिनांक और जोखिम आरंभ होने की दिनांक एक ही होगी.

[1]जहाँ वार्षिकीकृत प्रीमियम यानी लागू करों को छोड़कर एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि.

विभिन्न प्रभार जैसे कि 'प्रीमियम आवंटन प्रभार', 'पॉलिसी प्रशासन प्रभार', 'फंड प्रबंधन प्रभार' इत्यादि की कटौती की जाती है. प्रीमियम आवंटन प्रभार और मॉर्टेलिटी प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के साथ संशोधन के अधीन के होंगे. प्रभारों और उनकी गणनाओं की पूरी सूची के लिए कृपया विक्रय विवरणिका पढ़ें.

पहले 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य छठें पॉलिसी वर्ष के पहले कार्य दिन पर देय होगा. 5 पॉलिसी वर्ष बाद समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य तुरंत अदा किया जाएगा.

रियायतों की निषिद्धता

समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :

क) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित विवरण पुस्तिका या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई हो.

ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है.

Toll-free No.: 1800 267 9090 | SMS **'LIBERATE'** to 56161 | **Email:** info@sbilife.co.in | **Web:** www.sbilife.co.in
(Between 9.00 am & 9.00 pm)

एसबीआई लाइफ – स्मार्ट वेल्थ बिल्डर एक इंडिविजुअल, यूनिट–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है.

फ़र्ज़ी फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी के ऑफ़र्स से सावधान :
IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है. इस प्रकार के फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज़ करें.

यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद पारंपरिक इंश्योरेंस उत्पादों से अलग होते हैं और ये बाज़ार के ज़ोखिमों के अधीन हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, पूँजी बाज़ार से संबंधित निवेश जोखिम के अधीन होता है और यूनिट की एनएवी, फंड की कार्यकुशलता तथा पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर कम या अधिक हो सकता है, और अपने निर्णय के लिए पॉलिसीधारक/बीमित स्वयं उत्तरदायी है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है और एसबीआई लाइफ–स्मार्ट वेल्थ बिल्डर एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, और यह किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं है. कृपया संबंधित जोखिम तथा लागू प्रभारों की जानकारी के लिए अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ से सम्पर्क करें या अपने बीमाकर्ता के पास मौजूद दस्तावेज देखें. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग–अलग फंड्स केवल फंड के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं तथा रिटर्न का संकेत नहीं हैं. फंड विकल्पों का पिछला कार्यनिष्पादन भावी कार्यनिष्पादन का संकेत नहीं करता. इस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी लाभ कर कानूनों और समय समय पर प्रभावी अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें. जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें. ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111** | CIN : L99999MH2000PLC129113.

NW/1K/Cr1/ver1/12/21/SP/HIN